न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/76

1. रामस्वरूप आत्मज मोतीलाल जी आयु बालिग ज़ाति गुर्जर निवासी ग्राम देलून्दा तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. रामप्रकाश आत्मज मोती लाल आयु बालिग जाति गुर्जर निवासी ग्राम देलून्दा तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. अणदी लाल आत्मज मोतीलाल जी आयु बालिग जाति गुर्जर निवासी ग्राम देलून्दा तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. गरीब चन्द आत्मज छोटूलाल आयु बालिग जाति गुर्जर निवासी ग्राम देलून्दा तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. नन्दलाल आत्मज मदनलाल आयु बालिग जाति गुर्जर निवासी ग्राम देलून्दा तहसील एवं जिला बून्दी ।
6. महावीर आत्मज मदनलाल आयु बालिग जाति गुर्जर निवासी ग्राम देलून्दा तहसील एवं जिला बून्दी ।
7. जगन्नाथी बाई बेवा गजानन्द आयु बालिग जाति गुर्जर निवासी ग्राम देलून्दा तहसील एवं जिला बून्दी ।
8. किशन लाल आत्मज बद्रीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम देलून्दा तहसील एवं जिला बून्दी ।
9. संजय आत्मज बद्रीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम देलून्दा तहसील एवं जिला बून्दी ।
10. रोशन विधवा देवलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम देलून्दा तहसील एवं जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामेश्वर आत्मज गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम देलून्दा तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. रामलाल आत्मज गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम देलून्दा तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. रामभवन वल्द प्रहलाद आुय बालिग जाति गुर्जर निवासी ग्राम देलून्दा तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री दिनेश पारीक, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 08.03.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 3 के पिता मृतक प्रहलाद ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 91 एवं 92ए के अन्तर्गत ग्राम देलून्दा की आराजी कुल 12 किता की 39 बीघा 13 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 की पुश्तैनी संयुक्त कब्जे काश्त, स्वामित्व एवं खातेदारी अधिकार की है । किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 3 के नाम अंकित है । राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि से वादी का नाम अंकित नहीं किया गया है । वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/6 हिस्सा है । उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी भूमि है । प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति आ गई है तथा वादी से जबरदस्ती कृषि भूमि छीनने तथा वादी के हिस्से की कृषि भूमि किसी अन्य व्यक्ति को रहन या बेचान के जिरये हस्तान्तरित करने की धमकी देते हैं ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण रामेश्वर, गुटया का संयुक्त हिस्स एवं अधिकार 1/2 घोषित किया जाकर उक्त आशय की डिक्री पारित की जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती हेतु आदेश पारित किया जावे । वादग्रस्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 के बीच विधिवत तरीके से विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से एवं अधिकार की कृषि भूमि स्वतंत्र रूप से वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित की जावे ।

4. प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 ने जवाबदावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.02.1996 को वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की । प्राथमिक डिक्री के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2015 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.06.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार साहब द्वारा जो प्रस्तावित रिपोर्ट तैयार की गई उसमें अपीलान्ट को बुलाया ही नहीं गया और अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उक्त बंटवारा रिपोर्ट तैयार की गई है । तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रिपोर्ट तैयार किये जाने के पूर्व उनको नोटिस दिया जाना व उनको बुलाकर उनके सामने कब्जे के अनुसार प्रस्तावित बंटवारा रिपोर्ट तैयार करना कानूनी रूप से आवश्यक है फिर भी अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं देकर उनकी अनुपस्थिति में पक्षकारान के कब्जे की विपरीत तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित बंटवारा रिपोर्ट तैयार कर दी गई । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की कोई सूचना

नहीं दी गई । अपीलान्ट द्वारा दिनांक 07.12.2017 को उक्त नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया नकल दिनांक 08.01.2018 को प्राप्त हुई इस बीच काश्तकारी का समय होने से अपीलान्ट को समय नहीं मिलने के कारण अपील प्रस्तुत नहीं कर सका । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.02.1996 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की थी और मौके की रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु तहसीलदार, बून्दी को मौका कमीश्नर नियुक्त किया था । तहसीलदार ने बंटवारा रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत की । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में बिना अपीलान्ट को सूचना दिये रखा व बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की है । राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है मौके पर कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.06.2015 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2000 पेज 170, आरआरडी 2003 पेज 193, आरबीजे 1995 पेज 626 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में लोक अदालत की भावना से अंतिम डिक्री पारित की गई है । अंतिम डिक्री विधि सम्मत है । लोक अदालत में पारित निर्णय की अपील मेन्टेनेबल नहीं होती है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.06.2015 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बाताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्ति हेतु लम्बित थी इसमे आगामी तारीख पेशी 10.06.2015 नियत की गई थी इसे दिनांक 05.06.2015 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और उसी दिन तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की गई है । रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही यह अंकित किया गया है कि पक्षकारों ने बंटवारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया है । सहखातेदारों के हिस्से को पृथक–पृथक दर्शाते हुए पृथक–पृथक स्याही का उपयोग करते हुए नक्शे भी नहीं बनाए हैं और अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारा प्रस्ताव आने के उपरान्त पक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर भी प्रदान नहीं

किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है जो अनिवार्य है । विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्धरत नजीर यहॉ चस्पा होती हैं ।

13. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ का निर्णय एवं अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार, बून्दी से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे सं विधि सम्मत रूप से अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 29.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 08.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा